P: ISSN No. 2231-0045 RNI No. UPBIL/2012/55438 VOL. -6, ISSUE-2, November - 2017
E: ISSN No. 2349-9435 Periodic Research

अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण का तुलनात्मक अध्ययन

विजय लक्ष्मी मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर,
एम0एड0 विभाग,
चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी0 जी0 कॉलेज,
गोरखपुर

सारांश

संविधान की धारा 43 में यह स्पष्ट निर्देशित है कि 14 वर्ष तक के बालक – बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। चाहे वह बालक या बालिका किसी भी जाति, धर्म की हो। परन्तु आज भी स्त्री पुरुष की साक्षरता दर में अन्तर है। इस अन्तर के मुख्य कारणों में आर्थिक सामाजिक, धार्मिक कारणों के साथ साथ अभिभावकों की भी मुख्य भूमिका हैं। अभिभावकों की सोच, मनोवृत्ति भी बालिका शिक्षा की प्रगति में बाधक बनी है। बालकों में अपने भविष्य को और बेटियों को दूसरे के घर जाना है,इस सोच के साथ वे बालक और बालिका में भेदभाव करतें हैं। इसी मनोवृत्ति का अध्ययन इस शोध कार्य द्वारा ज्ञात किया जाने का है। इसी जिज्ञासा से प्रेरित होते हुये शोधकर्ती ने प्रस्तुत विषय को शोध हेतु चुना ताकि सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके। प्रस्तुत शोधपत्र का उद्देश्य गोरखपुर जनपद के अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एवं उनकी अभिवृति में क्या अन्तर है, का अध्ययन करना है।

प्रस्तुत शोधपत्र में शून्य परिकल्पना–गोरखपुर जनपद के अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है, का निर्माण किया गया। शोध परिसीमन–प्रस्तुत शोध कार्य गोरखपुर जनपद तक सीमित है। इसमें शोध कार्य में मात्र 60 अल्पसंख्यक, 50 पिछड़े वर्ग एवं 40 अभिभावक अनुसूचित वर्ग से सम्बन्धित थे एवं अल्पसंख्यक अभिभावकों में 50 प्रतिशत मुस्लिम अभिभावक थे। अध्ययन मे अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरण में बालिका शिक्षा मतकोंण मापनी (स्व निर्मित) का प्रयोग किया गया। प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या के उपरान्त निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं–बालिका शिक्षा के प्रति अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है। अतः यह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक सम्बन्ध है। अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है इसका अभिप्राय यह है कि अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग की अपनी बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण भिन्न है। अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्त की है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बालिका शिक्षा के प्रति अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग बालिकाओं की अभिवृति में सार्थक सम्बन्ध है।

मुख्य शब्दः अभिभावक (अल्पसंख्यक,पिछड़े अनुसूचित), बालिका शिक्षा, मतकोंण।

प्रस्तावना

शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रकिया है, जिसमें प्राणी अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। शिक्षा का उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। विद्यालयीय शिक्षा एक निश्चित योजनानुसार एक निश्चित समय तक चलती है इसका उद्देश्य पाठ्य चयन और शिक्षण विधियां सभी निश्चित होती हैं।

संविधान की धारा 43 में यह स्पष्ट निर्देशित है कि 14 वर्ष तक के बालक – बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। चाहे वह बालक या बालिका किसी भी जाति, धर्म की हो। परन्तु आज भी स्त्री पुरुष की साक्षरता दर में अन्तर है।

इस अन्तर के मुख्य कारणों में आर्थिक सामाजिक, धार्मिक कारणों के साथ साथ अभिभावकों की भी मुख्य भूमिका हैं। अभिभावकों की सोच, मनोवृत्ति भी बालिका शिक्षा की प्रगति में बाधक बनी है। बालकों में अपने भविष्य को और बेटियों को दूसरे के घर जाना है, इस सोच के साथ वे बालक और बालिका में भेदभाव करतें हैं। इसी मनोवृत्ति का अध्ययन इस शोध कार्य द्वारा ज्ञात किया जाने का है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के प्रत्येक स्तर में तीव्र प्रगति हुयी। 1951 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 18% और महिलाओं की साक्षरता दर 8% थी। 2011 में साक्षरता दर 74.4% है और महिलाओं साक्षरता 65.46% है। इसमें क्षेत्रीय जातिगत एवं धार्मिक समुदायों की शिक्षा में अत्यधिक विषमता है। केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, यहां की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 91.98% है। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेक्ष की साक्षरता दर कम है। यहां की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 59.26%, है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में साक्षरता दर 25% से अधिक नहीं है। भारत वर्ष में हिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य समुदाय के लोगों की जनसंख्या लगभग 18% है जिनमें मुस्लिमों का प्रतिशत 12% है।

गोरखपुर जनपद, पूर्वी उत्तर में 240928वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में फैला है। यहां की साक्षरता 73.25% है। यह क्षेत्र शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण महिलाओं की साक्षरता राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय स्तर से कम है। सम्बन्धित साहित्य के पुनरावलोकन में ज्ञात हुआ कि –

राजेश कुमार शुक्ल ने 1984 में शिक्षित एवं अशिक्षित अभिभावकों की जनसंख्या शिक्षा एवं लघु परिवार के प्रति अभिवृत्तियों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि–शिक्षित एवं अशिक्षित अभिभावक लघु परिवार के प्रति अभिवृत्तियों में अन्तर रखतें है, स्त्री एवं पुरुष अभिभावक लघु परिवार के प्रति समान अभिवृति रखतें हैं। शिक्षित एवं अशिक्षित अभिभावक जनसंख्या शिक्षा के प्रति समान अभिवृत्ति रखतें हैं एवं स्त्री एवं पुरुष अभिभावक जनसंख्या शिक्षा के प्रति समान अभिवृत्ति रखतें हैं।

भट्टाचार्य, जी0 सी0 1996, पी–एच.डी., बनारस हिन्दू विश्वविद्याल, वाराणसी में प्राथमिक कक्षाओं की छात्राओं व उनके अभिभावकों में पर्यावरणीय अभिवृत्ति का अध्ययन करना'' अध्ययन से ज्ञात हुआ कि 1 तृतीय कक्षाओं की छात्राओं में 94.44% औसत से अधिक,48.89% औसत से नीचे तथा उच्च वर्ग में कोई नहीं था। तृतीय कक्षा की छात्राओं के अभिभावकों में से केवल 11.11% उच्च में 67.75% औसत से उपर 8.89% औसत से नीचे और 2.32% निम्न वर्ग के थे। कक्षा पंचम की छात्राओं की अभिभावकों में से केवल 7.87% औसत से अधिक 92.60% औसत से अधिक में, 47.19% औसत से नीचे और 2.25% निम्न वर्ग में थे एवं कक्षा तृतीय और पंचम की छात्राओं व उनके अभिभावकों को पर्यावरण जागरुकता में सहसम्बन्ध सार्थक पाया गया।

शशि तिवारी 1999 में जनसंख्या शिक्षा के प्रति सामान्य, पिछड़ी तथा अनुसूचित जाति के अभिभावकों व छात्राओं की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन किया, शिक्षा के प्रति सामान्य तथा पिछड़ी जाति के छात्राओं की अभिवृति में सार्थक अन्तर है।जनसंख्या शिक्षा के प्रति सामान्य तथा अनुसूचित जाति के छात्राओं की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है।

आनन्द और यादव (2006) ने 'द इनक्लूजन ऑफ एस0सी0 गर्ल्स इन एजूकेशन : ए लॉग पाथ अहेड'' में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया। जिनमें पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक समस्यायें प्रमुख थीं। उन्होनें अध्ययन में पाया कि बालिकाओं में अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण उनके अभिभावकों में शिक्षा का अभाव एवं बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोंण है।

शर्मिला एवं धास (2010) ने 'डेवेलपमेन्ट ऑफ वूमेन ऐजूकेशन इन इण्डिया' के शोध आलेख मे महिलाओं के विकासक्रम का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया कि महिलायें देश की आधी आबादी हैं और शिक्षा ही वह उत्तम मार्ग है जो महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति को सुदृण बना सकता है। जिसमें महिलायें स्वयं जागरुक बनें साथ ही सरकार और विभिन्न संस्थाओं को महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना होगा।

हजारिका, हिमाद्री एवं देवी रुनुश्री (2011) ने 'उच्च माध्यमिक स्तर के दरांग डिस्ट्रिक के सिपाझाार ब्लॉक के बालिकाओं की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया''। जिसमें पाया कि बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा और उपेक्षा प्रमुख है। बालिकायें गृहकार्य में संलग्न हैं। 20% परिवार बालिकाओं पर धन खर्च करने में अक्षम हैं। अभिभावकों की शिक्षा एवं निर्देशन का अभाव बालिका शिक्षा के विकास को प्रभावित करती है।

एनीजॉन और शिंदे (2012) ने 'भारत में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति के' सन्दर्भ में अवलोकन करते हुये लिखा है कि शिक्षा का सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। 2001 में मुस्लिम महिलाओं का शैक्षिक स्तर राष्ट्रीय स्तर से बहुत ही निम्न है। जिसमें शिक्षा ने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। भारतीय समाज में मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) समानता का अधिकार यह कहता है कि चाहे वह बालक हो या बालिका सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार है।

भण्डारी (2014) ने अपने शोधपत्र 'भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण' में स्पष्ट किया करते हुये कहा कि शिक्षा ही वह महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे समाज में महिलाओं की प्रत्येक दशा में परिवर्तन लाया जा सकता है। जो कि एक सशक्तिकरण का एक सशक्त माध्यम है। भारत में सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन बालिकाओं की शिक्षा के लिये

चलाया जा रहा है परन्तु फिर भी निरक्षर महिलाओं की जनसंख्या भारत में अभी भी अधिक है।

एम0डी0 प्रदीप और वी0 के0 रवीन्द्र (2017) में अपने अध्ययन –''जेण्डर सेन्सटिव वूमेन एजूकेशन इन हायर एजूकेशन'' में स्पष्ट करते हुये कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत की कुछ प्रमुख संस्थायें जैसे यू0जी0सी0, एन0सी0ई0आर0टी0, आदि ने भारत में महिला शिक्षा को नियमित किया है। यू0जी0सी0 की वूमेन स्टडी सेण्टर महिलाओं की शिक्षा, उनके स्तर एवं समस्याओं के विषय में अपनी चिन्ता प्रकट करते हुये कहा है कि महिलाओं की निरक्षरता ने उन्हे पराश्रित और प्रत्येक क्षेत्र से वंचित किया है। आज महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास के लिये महिला शिक्षा की विशेष आवश्यकता है।

स्त्री शिक्षा के महत्ता को देखेते हुये इसी सन्दर्भ में शोधकर्त्ती के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुयी कि अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की अपनी बालिका शिक्षा के प्रति कैसी अभिवृति रखतें हैं? क्या उनकी सकारात्मक एवं नकारात्मक अभिवृत्ति बालिका को प्रभावित करती है? इसी जिज्ञासा से प्रेरित होते हुये शोधकर्ती ने प्रस्तुतविषय को शोध हेतु चुना ताकि सार्थक परिणाम प्राप्त हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

1. गोरखपुर जनपद के अल्पसंख्यक वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण का अध्ययन करना।
2. गोरखपुर जनपद के पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण का अध्ययन करना।
3. गोरखपुर जनपद के अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण का अध्ययन करना।
4. गोरखपुर जनपद के अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन हेतु निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया।

1. गोरखपुर जनपद के अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण में सार्थक अन्तर नहीं है।
2. गोरखपुर जनपद के अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण में सार्थक अन्तर नहीं है।
3. गोरखपुर जनपद के अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति मतकोंण में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध परिसीमन

1. प्रस्तुत शोध कार्य गोरखपुर जनपद तक सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध कार्य में मात्र 60 अल्पसंख्यक, 50 पिछड़े वर्ग एवं 40 अभिभावक अनुसूचित वर्ग से सम्बन्धित थे।
3. अल्पसंख्यक अभिभावकों में 50 प्रतिशत मुस्लिम अभिभावक थे।

शोध विधि

अध्ययन मे अनुसंधान की सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

उपकरण

बालिका शिक्षा मतकोंण मापनी (स्व निर्मित)

बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावकों की अभिवृत्ति ज्ञात करने के लिये इस मापनी का निर्माण किया गया। इसके लिये अधिकारियों, अध्यापकों, समाजसेवी संगठनों एवं अभिभावकों से सम्पर्क किया गया। उन्होने बालिका शिक्षा के प्रति जिन सकारात्मक एवं नकारात्मक दृष्टिकोंणों को प्रस्तुत किया, उन्हें सूची बद्ध किया गया और उनके आधार पर मापनी का निर्माण किया गया। अभिवृत्ति मापनी का निर्माण लिकर्ट के पांच बिन्दुओं अधिक सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं अधिक असहमत के आधार पर किया गया।

मापनी में उल्लिखित निर्देश के अन्तर्गत अभिभावकों से कहा गया कि बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित कथन दिये गये हैं इन कथनों के प्रति उन्हें पांच वर्गों के अन्तर्गत अपनी प्रतिकिया व्यक्त करनी है। जिस कथन से आप सहमत हो उस कथन के पांच बिन्दुओं में से किसी एक पर सही का चिन्ह अंकित करें। मापनी में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही कथनों का प्रयोग किया गया है।

अभिवृत्ति मापनी की विश्वसनीयता परीक्षण एवं पुनः परीक्षण विधि से ज्ञात की गयी। जो भी अभिभावक उपलब्ध हो सके उन्हें दो महीने के पश्चात मापनी पुनः दी गयी और उनके दो प्रथम एवं द्वितीय अवसरों के प्राप्तांकों के आधार पर सहसम्बन्ध गुणांक का मान ज्ञात किया गया। गुणांक का मान .77 है। मापनी की वैधता, विश्वसनीयता गुणांक एवं अभिभावकों, अधिकारियों, अध्यापकों एवं प्रबुद्ध वर्ग के सदस्यों के कथनों के प्रति मतों के आधार पर मान लिया गया।

समष्टि एवं प्रतिदर्श

इस अध्ययन की समष्टि में ऐसे सभी अभिभावक आतें हैं जो अल्पसंख्यक, पिछड़ी एवं अनुसूचित वर्ग के हैं। किन्तु प्रतिदर्श के रुप में गोरखपुर जनपद स्तर पर यादृच्छिक विधि से चयनित 60 अल्पसंख्यक, 50 पिछड़ी एवं 40 अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है।

प्रदत्त संकलन

चयनित अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग की बालिकाओं के अभिभावकों से आंकड़ों के संकलन के लिये सर्वप्रथम उन्हे शोध के उद्देश्य के बारे में बताया गया और कहा गया कि बालिकाओं की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति ज्ञात करने के लिये अभिवृति मापनी का प्रयोग किया गया है। उनसे यह आग्रह किया गया कि मापनी के कथनों को ध्यान से पढ़ कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। पूरित मापन के उपकरणों का फलांकन किया गया।

फलांकन करते समय सकारात्मक कथनों में पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्णतः

असहमत हेतु क्रमशः 5,4,3,2,एवं 1 अंक प्रदान किये गये। इसी प्रकार नकारात्मक कथनों में पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत एवं पूर्णतः असहमत के लिये 1,2,3,4 एवं 5 अंक प्रदान किये गये। इस प्रकार प्रदतों को संकलित किया गया।

सांख्यिकीय विश्लेषण

प्रस्तुत शोध हेतु मध्यमान, प्रामाणिक विचलन एवं क्रांतिक अनुपात का प्रयोग किया गया है।

प्रदत्तों का विश्लेषण

प्रदतों के विश्लेषण हेतु अध्ययन उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये अल्पसंख्यक, पिछड़े एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों के आधार पर वर्गीकृत किया गया तथा उनके प्राप्तांक ज्ञात किये गये। प्राप्तांकों के विश्लेषण हेतु इनकी अलग अलग आवृति वितरण तालिका बनाई गयी तथा उनका पृथक पृथक मध्यमान एवं प्रामाणिक विचलन ज्ञात किया गया तथा दो मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जांच हेतु क्रान्तिक अनुपात की गणना की गयी। गणना से प्राप्त मानों का विवरण निम्न लिखित तालिका में प्रस्तुत है–

तालिका–1

अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों के प्राप्तांकों के माध्य,प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

क्रम संख्या	समूह	संख्या	माध्य	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
1	अल्पसंख्यक वर्ग	60	91.00	13.00	4.81*
2	पिछड़ी जाति	50	103.96	15.00	

*.01 स्तर पर सार्थक

प्रदत्त विश्लेषणोपरान्त जो भी परिणाम प्राप्त हुये उन्हे उपर्युक्त तालिका में प्रदर्शित किया गया है। जिनकी क्रमशः व्याख्या निम्नवत है–

अल्पसंख्यक वर्ग एवं पिछड़ी जाति के अभिभावकों के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 91.00 एवं 103.96 प्राप्त हुये हैं जो यह प्रदर्शित करतें हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग पिछड़ी जाति के अभिभावकों ने बालिका शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृति व्यक्त की है क्योंकि इसके लिये अधिकतम अंक 150 निर्धारित थे इनके सन्दर्भ में उपर्युक्त मध्यमान उच्च धनात्मक अभिवृति स्तर के द्योतक हैं।

अल्पसंख्यक एवं पिछडी जाति में वर्गीकृत दोंनो मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जांच के उपरान्त क्रान्तिक अनुपात का मान 4.8 प्राप्त हुआ। यह मान विश्वसनीयता के 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर व्यक्त करता है । अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण में पर्याप्त अन्तर है।

अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों के प्राप्तांकों के माध्य, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

तालिका– 2

क्रम संख्या	समूह	संख्या	माध्य	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
1	अल्पसंख्यक वर्ग	60	91.00	13.00	.78
2	अनुसूचित वर्ग	40	93.00	12.16	

अल्पसंख्यक वर्ग एवं अनुसूचित जाति के अभिभावकों के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रम शः 91.00एवं 93. 00 प्राप्त हुये हैं जो यह प्रदर्शित करतें हैं कि अल्पसंख्यक वर्ग अनुसूचित जाति के अभिभावकों ने बालिका शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृति व्यक्त की है क्योंकि इसके लिये अधिकतम अंक 150 निर्धारित थे इनके सन्दर्भ में उपर्युक्त मध्यमान उच्च धनात्मक अभिवृति स्तर के द्योतक हैं।

अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति में वर्गीकृत दोंनो मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जांच के उपरान्त क्रान्तिक अनुपात का मान .78 प्राप्त हुआ। यह मान विश्वसनीयता के 0.05 स्तर पर सार्थक अन्तर व्यक्त नही करता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित जाति के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण में पर्याप्त अन्तर नहीं है।

पिछड़ी एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों के प्राप्तांकों के माध्य, प्रामाणिक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात

तालिका– 3

क्रम संख्या	समूह	संख्या	माध्य	प्रमाणिक विचलन	क्रान्तिक अनुपात
1	पिछड़ी जाति	50	103.96	15.00	3.84*
2	अनुसूचित वर्ग	40	93.00	12.16	

*.01 स्तर पर सार्थक

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों के प्राप्तांकों के मध्यमान क्रमशः 103.96 एवं 93.00 प्राप्त हुये हैं जो यह प्रदर्शित करतें हैं कि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों ने बालिका शिक्षा के प्रति धनात्मक अभिवृति व्यक्त की है क्योंकि इसके लिये अधिकतम अंक 150 निर्धारित थे इनके सन्दर्भ में उपर्युक्त मध्यमान उच्च धनात्मक अभिवृति स्तर के द्योतक हैं।

पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित वर्ग में वर्गीकृत दोंनो मध्यमानों में अन्तर की सार्थकता की जांच के उपरान्त क्रान्तिक अनुपात का मान 3.84 प्राप्त हुआ। यह मान विश्वसनीयता के 0.01 स्तर पर सार्थक अन्तर व्यक्त करता है। अतः इस आधार पर कहा जा सकता है कि पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण में पर्याप्त अन्तर है।

प्रदत्त विश्लेषण एवं व्याख्या के उपरान्त परिणामों की विवेचना –

1. बालिका शिक्षा के प्रति अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है।

अतःयह कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के अभिभावकों की अभिवृत्ति में सार्थक सम्बन्ध है।

2. अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की बालिका शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है इसका अभिप्राय यह है कि अल्पसंख्यक एवं अनुसूचित वर्ग की अपनी बालिका शिक्षा के प्रति दृष्टिकोंण भिन्न है।
3. अनुसूचित वर्ग के अभिभावकों की अपेक्षा पिछड़े वर्ग के अभिभावकों में बालिका शिक्षा के प्रति अधिक सकारात्मक अभिवृत्ति व्यक्त की है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बालिका शिक्षा के प्रति अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग बालिकाओं की अभिवृति में सार्थक सम्बन्ध है।

अध्ययन से स्पष्ट है कि अल्पसंख्यक वर्ग के अभिभावको का मध्यमान का प्राप्तांक सबसे कम है इसके कम होने के अनेक कारण हो सकते हैं। जैसे सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के साथ आर्थिक तंगी के कारण उनमें बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह नहीं है।

शैक्षिक निहितार्थ

इस अध्ययन के अन्तर्गत गोरखपुर जनपद में अल्पसंख्यक, पिछडी एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं के अभिभावकों का अध्ययन किया गया। अभिभावकों ने बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जो अभिवृत्ति व्यक्त की है उससे स्पष्ट है कि वे समय एवं परिस्थिति को देखते हुये बालिकाओं की शिक्षा के प्रति प्रयत्नशील हैं। तीनों वर्गों के अभिभावकों ने प्रायः बालिकाओं की शिक्षा के प्रति समान मत व्यक्त किये हैं फिर भी उनकी दृष्टि में सामाजिक एवं परम्परागत कारणों से शिक्षित महिलायें भी अन्याय एवं कुरीतियों को दूर करने में संगठित नहीं हो पा रहीं हैं। उन्हें जो अधिकार प्राप्त है उन्हें प्राप्त करने के लिये भी उदासीन हैं। अभिभावकों में चेतना जागृत करने के लिये समय समय पर प्रोत्साहन एवं उत्साहवर्धन आवश्यक है।

आज समाज के सभी वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरुकता दिखायी दे रही है और यह जागरुकता तभी सम्भव हो सकता है जब प्रत्येक अभिभावक बालिका शिक्षा के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हों।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध निष्कर्ष से दृष्टव्य है कि–

1. अल्पसंख्यक, पिछड़ी जाति के बालिकाओं के अभिभावकों के अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है इससे तात्पर्य है कि वे बालिका शिक्षा के प्रति समान सकारात्मक दृष्टिकोंण रखतें हैं
2. अल्पसंख्यक, एवं अनुसूचित जाति के बालिकाओं के अभिभावकों के दृष्टिकोंण में सार्थक अन्तर जो यह प्रदर्शित करता है कि दोनों वर्गों के अभिभावकों की विचारधारा में समानता का अभाव है।
3. पिछड़ी एवं अनुसूचित जाति की बालिकाओं के अभिभावकों के अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर नहीं है इससे तात्पर्य है कि वे बालिका शिक्षा के प्रति समान सकारात्मक दृष्टिकोंण रखतें हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *त्रिपाठी, मधुसूदन, शिक्षा अनुसंधान और सांख्यिकी, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली : 2017 (पृष्ठ संख्या 31–47)*
2. *गुप्ता, एस0पी0 गुप्ता, गुप्ता एस0पी0, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद (पृष्ठ संख्या 389–394)*
3. *बुच, एम0 बी0: 'फोर्थ सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजूकेशन' (1983–88) वॉल्यूम 4, 5।*
4. *डा0 मिश्रा महेन्द कुमार उदीयमान भारतीय समाज, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2014 (पृष्ठ संख्या 193)*
5. *सक्सेना, ए0के0, शिक्षा में अनुसंधान, पोइन्टर पब्लिकेशर्स जयपुर राजस्थान 2016(पृष्ठ संख्या 48)*
6. *समसामयिक घटनाचक्र अतिरिक्तांक भारत की जनगणना एवं विश्व जनसंख्या। घटना चक्र प्रकाशन 8/9, विश्वविद्यालय मार्ग इलाहाबाद 2011।*
7. *shodhganga.inflibnet.ac.in/chapter2review of the related literature.*
8. *D., Pradeep M. and B.K., Ravindra, Review on the Gender Sensitive Women Education-Legal Revolution in Higher Education (June 30, 2017). International Journal of Management, Technology, and Social Sciences (IJMTS), (ISSN: Applied), 2(1), 53-65. .*